न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - नीरज कुमार मित्तल, आर.जे.एस.
Reg. Cri. Case C.I.S. No. - 7715/2022
CNR No. - RJKT020141842022
एफ.आई.आर. नंबर - 97/2022 कोतवाली, कोटा शहर

राजस्थान राज्य बनाम सूरज थापा

अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम

शिकायतकर्ता	श्री प्रमोद हैडकानि 139
अधिवक्ता परिवादी	विद्वान अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	सूरज थापा पुत्र श्री टेक बहादुर उम्र 36 वर्ष निवासी गुलाबबाडी थाना रामपुरा कोतवाली कोटा शहर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सैय्यद जावेद
अपराध की तारीख	03.07.2022
एफआईआर की दिनांक	03.07.2022
चालान पेश करने की दिनांक	16.07.2022
आरोप लगाने की दिनांक	22.08.2022
साक्ष्य अभियोजन प्रांरभ व समाप्ति	साक्ष्य प्रारम्भ दिनांक 27.09.2022 साक्ष्य समाप्ति दिनांक 13.08.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	NIL
निर्णय दिनांक	13.08.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	निल

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह का प्रकार

Authenticated Document

1.	पी0ड0-1 प्रमोद,	जब्ती अधिकारी,
2.	पी0ड0-2 श्रवणराम,	मौके का गवाह,
3.	पी0ड0-3 वहीद अहमद,	मालखाना इंचार्ज,
4.	पी0ड0-4 चैनसिंह,	अनुसंधानकर्ता,
5.	पी0ड0-5 सीताराम,	अन्य साक्षी,

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत/प्रदर्शित दस्तावेजात् की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**प्रदर्श दस्तावेज**	**दस्तावेज का प्रकार**
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द चैकिंग व जब्ती,
2.	प्रदर्श पी-2	फर्द गिरफतारी अभियुक्त,
3.	प्रदर्श पी-3	चाक एफआईआर,
4.	प्रदर्श पी-4	नक्शा मौका घटनास्थल,
5.	प्रदर्शी पी-5ए	चिट माल मार्क ए
6.	प्रदर्श पी-6 लगायत 8	रवानगी रपट
7.	प्रदर्श पी-9	राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति
8.	प्रदर्श पी-10	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त
9.	प्रदर्श डी-2	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**गवाह का नाम**	**गवाह का प्रकार**
-	-	-

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत/प्रदर्शित दस्तावेजात् की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रदर्श दस्तावेज	दस्तावेज का प्रकार
1	प्रदर्श डी-1	पुलिस बयान प्रमोद कुमार

-: निर्णय :-

दिनांक : 13.08.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्री प्रमोद हैडकानि, थाना कोतवाली कोटा ने फर्द चैकिंग व जब्ती इस आशय की पेश की, कि वह दिनांक 03.07.2022 को मय जाप्ता राजपाल व श्रवण कानि के मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान व गश्त इलाका हेतु रवाना होकर गश्त इलाका करता हुआ लाडपुरा पहुंचा जहां जरिये मुखबीर मिली सूचना पर छोगा की बावडी पहुंचा जहां बताये हुलिये का व्यक्ति तेज कदमों से जाने लगा जिसे जाप्ता की मदद से पकड़ा। पकड़े व्यक्ति को यथास्थिति में रहने की हिदायत देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सूरज थापा बताया। इसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से जाप्ता में से राजपाल कानि. को मौखिक आदेश देकर रवाना किया, जिसने दस मिनट बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचिदगी के कारण कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ और ना ही अपने नाम पते बताये। इस पर जाप्ता में से जाब्ते को मौके का गवाह मामूर कर पकड़े व्यक्ति की नियमानुसार तलाशी ली गई तो उसकी पहनी हुई टीशर्ट के नीचे पेंट की बाई जेब में एक तेज धारदार गुप्ती लोहा मिली, जिसका मौके पर ही नाप किया तो इसके धारदार फल की लंबाई 23 सेंटीमीटर व दस्ते की लंबाई 17 सेंटीमीटर कुल लंबाई 40 सेंटीमीटर हुई। कोटा नगर निगम सीमा में 10.16 सेंटीमीटर से अधिक धारदार फल का हथियार बिना लाइसैंस कब्जे में रखना धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध होने से मुलजिम से कटार अपने कब्जे में रखने का लाइसैंस मांगा तो नहीं होना बताया। मुलजिम का यह कृत्य धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से मुलजिम के कब्जे से मिली कटार को बतौर वजह सबूत कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्डमोहर मार्क-ए दिया। मुलजिम को जर्ये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया। बाद कार्यवाही मय माल मुलजिम थाने आया तथा माल जमा मालखाना करवाकर अभियुक्त को बन्द हवालात किया ..... इत्यादि।

02. इस पर थाना कोतवाली कोटा शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया।

Authenticated Document

03. बहस आरोप सुनने के उपरान्त अभियुक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उक्त अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में उक्तानुसार गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये व उक्तानुसार प्रदर्श प्रदर्शित करवाये।

05. तत्पश्चात अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें उसने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करने से इंकार किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

07. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त को झुंठा फंसाया गया है। कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाया गया है। सभी गवाह पुलिसकर्मी है, जिनकी साक्ष्य में असंगतता व विरोधाभास प्रमाणित होने से उनकी साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त के कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाये।

08. इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाये।

09. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रकरण के निर्णय हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. *क्या दिनांक 03.07.2022 समय करीब 09:15 पी.एम. या इसके लगभग स्थान छोगा की बावडी के पास, गुलाबबाडी, थाना कोतवाली कोटा प्रमोद हैडकानि तथा साथी पुलिस बल द्वारा की गई चैकिंग के दौरान अभियुक्त को पकड़ा तथा वक्त चैकिंग उसके संज्ञान कब्जे से एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसके धारदार फल की लम्बाई 23 सेंटीमीटर हत्थे की लम्बाई 17 सेंटीमीटर थी, बरामद किया, जिसके धारदार फल की लम्बाई राज्य सरकार के*

गजट नोटिफिकेशन में वर्णित निर्धारित माप 10.16 सेंटीमीटर से अधिक थी ?

2. *यदि हां तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?*

10. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है जिसमें उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करें तो यह देखते हैं कि प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू.1 प्रमोद जब्तीकर्ता है। उक्त गवाह द्वारा ही मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 बनाई है और उसी फर्द जब्ती के आधार पर हस्तगत प्रकरण दर्ज कराया गया है। गवाह ने फर्द जब्ती में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.07.2022 को पुलिस थाना कोतवाली, कोटा पर हैड़ कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह मय जाब्ता राजपाल कानि. व श्रवण कानि. के मय अनुसंधान बॉक्स मय लैपटॉप व मिनी प्रिंटर के थाने से वास्ते गस्त एवं चैकिंग गुण्डा बदमाशान समय 08.23 पीएम पर रवाना हुआ। वे लोग पैदल-पैदल गस्त करते हुए रामपुरा बाजार होते हुए रामचन्द्र जी मंदिर के पास लाडपुरा पहुंचे। जहां पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति बैंगनी रंग की टी-शर्ट व नीले रंग की जींस की पेंट पहन रखी है, जो छोवा की बावडी गुलाबबाड़ी के पास खड़ा है, जिसके पास कोई धारदार हथियार है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने पर उक्त सूचना से जाब्ते को अवगत कराया और मय जाब्ते के छोवा की बावड़ी पहुंचे। जहां पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति नजर आया, जो पुलिस जाब्ते को अपनी तरफ आता देखकर तेज-तेज कदमों से जाने लगा, जिसे उसने जाब्ते की मदद से घेरा देकर रोका और यथास्थिति खड़ा रहने की हिदायत दी। उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सूरज थापा बताया। जिसकी तलाशी हेतु राजपाल कानि. को जुबानी आदेश देकर भेजा। राजपाल कानि. ने दस मिनट बाद आकर बताया कि कानूनी पेचीदगियों के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है। जाब्ते में से राजपाल व श्रवण कानि. को उनकी मौखिक सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर किया और सूरज थापा की तलाषी ली तो उसके पहनी हुई टी-शर्ट के नीचे पेंट की बांई जेब में एक तेज धारदार लोहे की गुप्ती मिली, जिसके सिल्वर का हत्था लगा हुआ था, जिसके फल की लंबाई 23 सेमी. व हत्थे की 17 सेमी. मिली कुल लंबाई 40 सेमी. थी। सूरज थापा से उक्त गुप्ती रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। गुप्ती को वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली मे सील मोहर कर मार्क ए दिया। फर्द जब्ती मौके पर बनाई थी। मुलजिम को जरिए फर्द प्रदर्श-पी 02 के गिरफ्तार किया था। गवाह के बयानों के दौरान जब्त शुदा माल कपड़े की थैली में सील शुदा अवस्था में न्यायालय में पेश किया गया। गवाह ने बताया कि उक्त माल वही है, जिसे

मुलजिम रोहित से जब्त किया था। गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह जब्तीस्थल आवाजाही वाला व्यस्त इलाका होना जाहिर करता है तथा मुखबीर द्वारा सूचना उसके सामने आकर दिया जाना बताता है। गवाह जाब्ते की आमद रवानगी पत्रावली पर संलग्न नहीं होना स्वीकारता है। गवाह से की गई संपूर्ण में जिरह में किसी भी स्तर पर अभियुक्त से की गई जब्ती प्रभावित नहीं होती है और गवाह मुख्य परीक्षण में फर्द जब्ती में अंकित तथ्यों को स्पष्ट रूप दोहराता है और अधिवक्ता द्वारा किये गये कथनों से गवाह के बयान किसी भी रूप में खंडित नहीं हुए है और उसके द्वारा जिरह में अभियुक्त से की गई जब्ती व उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

11. प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.2 श्रवणराम जासे का गवाह है। उक्त गवाह जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.1 प्रमोद के अनुरूप ही मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देकर कथन करता है। उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं होने से गवाह की साक्ष्य अखंडित रही है।

12. प्रकरण में तफ्तीश करने वाले चैन सिंह को गवाह पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जिसने संपूर्ण अनुसंधान में मुलजिम के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने का कथन करते हुए कथन किया कि दौराने अनुसंधान बयान प्रमोद हैड कानि0, गणेश, श्रवण कानि0 के उनके कथनानुसार लिये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 फरियादी प्रमोद की निशादेही से बनाया था। नकल रपट रवानगी की प्रमाणित प्रतियॉं प्रदर्श पी 6 लगायत पी 8 है। जो संलग्न पत्रावली है। नकल मालखाना की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली करी थी। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम सूरज थापा के विरूद्ध धारा 4/25 आम्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ साहब के समक्ष पेश करी थी जिन्होनें न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह प्रकरण के समस्त गवाहान पुलिस कर्मी होने, जब्तीस्थल आवाजाही वाला सार्वजनिक स्थल होने का तथ्य स्वीकारता है तथा प्रकरण को झूठा दर्ज किये जाने के तथ्य को गलत होना बताता है। प्रकरण में गवाह वहीद अहमद जो कि पी.ड. 3 के रूप में परीक्षित हुआ है वह मालखाना इंचार्ज है और वह प्रकरण के परिवादी प्रमादे हैडकानि द्वारा सील्डशुदा पैकेट मार्क ए को उसे जमा मालखाना हेतु देने व उक्त गवाह द्वारा उक्त माल को मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 109/22 पर इंद्राज किये जाने का कथन करता है जिसके संबंध में पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी डी2 संलग्न है जिसमें मुकदमा संख्या 97/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में श्री प्रमोद हैडकानि द्वारा मुल्जिम सूरज थापा के कब्जे से जब्तशुदा एक अवैध धारदार गुप्ती को सील्डशुदा कपडे की थैली में मालखाना में जमा कराने का तथ्य अंकित है और उक्त माल क्रम संख्या 109 पर दर्ज होना दर्शित है। उक्त गवाह से अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में गवाह माल पर थाने की सील लगी हुई

जाहिर करता है। प्रकरण का अंतिम गवाह सीताराम पी ड 5 हस्तगत प्रकरण में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान चैन सिंह एचसी को सुपुर्द करने के संबंध में औपचारिक कथन करता है। अन्य किसी गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

13. प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित किया जाना है कि आरोपी द्वारा अपने कब्जे में एक धारदार हथियार गुप्ती, जिसकी फल की लंबाई 23 से.मी. से थी, को बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखा गया। हस्तगत प्रकरण में दौराने जप्ती अभियुक्त के कब्जे से एक तेज धारदार गुप्ती बरामद हुयी है, जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। प्रकरण में चैकिंग हेतु थाना से रवाना होने के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी से समस्त कार्यवाही किए जाने का तथ्य पेश किया गया है।

14. प्रकरण में जब्ती अधिकारी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 में स्पष्ट रूप से थाने से समय 08.23 पीएम पर गश्त हेतु निकलने व मौके पर पहुंचकर आरोपी से गुप्ती बरामद किये जाने के तथ्य को प्रस्तुत करता है और अपने पुलिस बयानों व न्यायालय के समक्ष हुई साक्ष्य के दौरान भी फर्द जब्ती के अनुरूप ही साक्ष्य देता है। इस गवाह से अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में गवाह की साक्ष्य पूर्ण रूप से अखंडित रही है। इसके अतिरिक्त जाब्ते का अन्य गवाह पी ड 2 श्रवणराम भी लैशमात्र भी जब्ती अधिकारी से विरोधाभासी कथन जब्ती के संदर्भ में अपने बयानों में अंकित नहीं करता है तथा उससे जिरह नहीं किये जाने से जब्ती की कार्यवाही के संबंध में कोई खंडन नहीं आया है जिस कारण प्रकरण में आरोपी से धारदार हथियार गुप्ती को बरामद किए जाने के तथ्य का खण्डन मौके के गवाहान की साक्ष्य से नहीं होता है और उक्ताधार पर प्रकरण के गवाहान की साक्ष्य अखंडित रही है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मौके के गवाहान द्वारा मौके पर कानूनी कार्यवाही में कोई व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहने के चलते स्वतंत्र गवाहान नहीं बनाए जा सकने का कथन किया है और इस कारण प्रकरण में समस्त गवाह पुलिसकर्मी ही बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर रोजनामचना रपट प्रदर्श पी 6 से भी दिनांक 03-07-22 को समय 08.23 पीएम पर उक्त जाब्ते द्वारा वास्ते चैकिंग एवं गुंडा बदमाशान हेतु थाने से रवानगी किये जाने का तथ्य सिद्ध होता है जिससे जाब्ते द्वारा उक्त दिनांक व समय को अभियुक्त से दौराने गश्त एवं चैकिंग की गई जब्ती प्रमाणित होती है।

15- प्रकरण में जब्त की गई गुप्ती की नाप प्रदर्श पी-9 की अधिसूचना में अंकित नाप से अधिक है, जिस संबंध में बचाव पक्ष का यह कथन नहीं है कि उनके पास उक्त गुप्ती अपने कब्जे में रखने के संबंध कोई लाइसेंस संबंधित विभाग से प्राप्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त हालांकि प्रकरण में मौके का एक गवाह राजपाल न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है किंतु प्रकरण में अन्य मौके के गवाहान एक स्वर में मुलजिम सूरज

थापा से गुप्ती बरामद किए जाने का कथन करते हैं जिससे उक्त गवाहान की सुदृढ साक्ष्य के आधार पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 संदेह से परे प्रमाणित हो जाती है। उक्त गुप्ती आरोपी द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु अपने कब्जे में रखे जाने का कथन बचाव पक्ष द्वारा कथित नहीं किया गया है।

16. फलतः प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि मौके पर जाब्ते के गवाहान द्वारा कार्यवाही किए जाने के दौरान प्रकरण में जप्त गुप्ती को बिना लाईसेंस के बरामद किया गया था जिसकी नाप केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प्रदर्श पी-9 में अंकित नाप से अधिक थी। उक्त गुप्ती की नाप प्रदर्श पी-9 अधिसूचना में अंकित विधिक नाप से कम हो यह बचाव भी बचाव पक्ष का नहीं रहा है। प्रकरण में आरोपी से की गई कार्यवाही से लेकर प्रकरण में जप्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाने, उक्त माल को न्यायालय में पेश किए जाने तक प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही उक्त गवाहान के बयानों से संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त सूरज थापा अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश::

17. अतः अभियुक्त सूरज थापा पुत्र श्री टेक बहादुर उम्र 36 वर्ष निवासी गुलाबबाडी थाना रामपुरा कोतवाली कोटा शहर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(नीरज कुमार मित्तल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा

सजा के बिन्दु परः-

18. सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस है कि अभियुक्त प्रकरण में लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा मजदूरी पेशा गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये दण्डादेश से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

19. इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने, सुसंगत विधिक प्रावधानों का मनन करने के पश्चात् यह प्रकट होता है यह मामला धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित है एवं आरोपी के खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2022 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की आयु भी 36 वर्ष की युवावस्था की

Authenticated Document

है जिस पर अपने पूरे परिवार की जीविकोपार्जन का दायित्व होना बताया गया है जिससे प्रकरण के तथ्यों, अभियुक्त की कम उम्र, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है।

:ः दण्डादेश:ः

20. अतः अभियुक्त सूरज थापा पुत्र श्री टेक बहादुर उम्र 36 वर्ष निवासी गुलाबबाडी थाना रामपुरा कोतवाली कोटा शहर को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्धि घोषित किये जाने पर अपराधी परीविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधि हेतु दस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करें कि अभियुक्त शांति व सदाचार बनाये रखेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर हाजिर होता रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

21. साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 के तहत अभियुक्त 400/-रूपये (चार सौ रूपये) अभियोजन व्यय राशि जमा करायेगा। अभियुक्त जमानत पर है, जिसके हाजिरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जाने हेतु पृथक से तहरीर जारी हो।

22. धारा 437A दंड प्रक्रिया संहिता का स्वयं का मुचलका राशि 5 हजार पृथक से पेश किया जावे। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर प्रकरण में धारा 357ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई आदेश किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(नीरज कुमार मित्तल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा

23. निर्णय आज दिनांक 13.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(नीरज कुमार मित्तल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा

AKASH GUPTA
Digitally signed by AKASH GUPTA
Date: 2026.08.13 17:52:09 +0530

Authenticated Document